भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2860 का उत्तर

रेलवे भूमि का विकास

2860. श्री कनकमल कटारा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) **क्या रेलवे अपनी भूमि के विकास और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित विभिन्न लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है;**

(ख) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ग) **देश में रेल पटरियों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में धीमी गति के क्या कारण हैं; और**

(घ) **रेलवे द्वारा रेल अवसंरचना को तेजी से सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?**

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

mm

रेलवे भूमि के विकास के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को लोक सभा में श्री कनकमल कटारा के अतारांकित प्रश्न सं. 2860 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेल पर सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रेलवे भूमि का विकास शामिल है, करना सतत प्रक्रिया है, और पिछले तीन वर्षों में, आधुनिकीकरण के लिए लगभग 3.50 लाख करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों में, रेलपथ और संरचनाओं में लगभग 7133 हेक्टेयर, वनरोपण में 2510 हेक्टेयर, वाणिज्यिक लाइसेंस में 88 हेक्टेयर और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को लाइसेंस पर दी गई भूमि, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई भूमि, आदि जैसे अन्य उपयोगों में 1103 हेक्टेयर के लिए रेलवे की भूमि पर विकास कार्य किया गया है।

(ग): भारतीय रेलवे ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए हासिल किए गए 1875 कि.मी. की तुलना में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए 6096 कि.मी. के दोहरीकरण को हासिल किया है। 2009-10 से 2018-19 तक दोहरीकरण का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

पिछले 10 वर्षों के दौरान दोहरीकरण

वर्ष	किलोमीटर
2009-10	285
2010-11	260
2011-12	400
2012-13	430
2013-14	500
कुल	1875

वर्ष	किलोमीटर
2014 - 15	723
2015 - 16	973
2016 - 17	882
2017 - 18	999
2018 - 19	2519
कुल	6096

इस समय, दोहरीकरण की 247 परियोजनाएँ निष्पादन / नियोजन / स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से

mm

सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, माननीय न्यायालय के आदेश जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की कार्य करने की स्थिति और शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, जो दोहरीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में धीमी गति के विभिन्न कारण हैं।

भारतीय रेलवे ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए हासिल किए गए 3038 मार्ग कि.मी. की तुलना में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए 13,687 मार्ग कि.मी. के रेल विद्युतीकरण को हासिल किया है। इसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

पिछले 10 वर्षों के दौरान रेल विद्युतीकरण

वर्ष	आरकेएम चालू करना
2009–10	421
2010–11	75
2011–12	595
2012–13	1337
2013–14	610
कुल	3038

वर्ष	आरकेएम चालू करना
2014 – 15	1176
2015 – 16	1502
2016 – 17	1646
2017 – 18	4087
2018 – 19	5276
कुल	13687

mm

(घ): रेलवे की अवसंरचना में तेजी से सुधार लाने के लिए, रेल मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, यथा:

(1) परियोजना विकास, संसाधन जुटाने और निगरानी के लिए पारस्परिक रूप से चिह्नित की गई रेल अवसंरचना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी) बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से संपर्क किया है।

(2) भारतीय रेल ने नए कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दृष्टिकोण अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप कार्य शुरू करने में समय की बचत हुई है। पहले, एक कार्य शुरू करने में 2 से 3 वर्ष लगते थे, जिसे अब एक वर्ष से भी कम समय पर किया जाने लगा है।

(3) क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के लिए, मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था करके संस्थागत वित्तपोषण किया गया है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध धन व्यवस्था के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि हो गई है।

(4) क्षेत्रीय रेलों को निर्माण कार्य संबंधी ठेकों की स्वीकृति और अनुमानों के अनुमोदन के संबंध में पूर्ण शक्तियां दी गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमान की स्वीकृतियां देने और ठेके देने के लिए समय में कमी आई है।

*****

mm